



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE HYDERABAD

संख्या/No. 52 - 26644 - 101

दिनांक/Date: 8-12-2006

सेवा में/To

मैसर्स/M/s. Sanitech Engineers & Consultants

(P) Ltd., SRT - 916, GFI Sanathnagar,

Beside Rose Buds High School,

HYDERABAD - 500 018.

विषय: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन और (यथासंगोहित) अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण।
 Sub: Implementation of the E.S.I. Act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 2(12)/1(5) of the Act as amended.

-oO-

महादय/Dear Sir/s,

1. आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या..... दिनांक..... द्वारा..... क्षेत्र में सभी कारखानों/स्थापनाओं को अधिनियम के अधीन व्याप्त करने हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए हैं।

It is informed that under Section 1(3) of the E.S.I. Act, 1948 the Central Government has vide Notification No. _____ dated _____ made the provisions of the Act applicable to all factories/establishments covered under the Act within the (Area) _____

2. यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्या..... दिनांक..... द्वारा..... तारीख से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।
 It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishment under Section 1(5) of the Act with effect from _____ (vide notification No. _____ dated _____)

3. अधिनियम की धारा 2-क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराए तथा अधिनियम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी करें।
 Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and chapter IV thereof casts a responsibility on the principal employer thereof to insure his employees and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.

4. आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण के अनुसार दिनांक..... की बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा आपके कारखाने/स्थापना की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापना दिनांक..... में अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है। फिर भी यदि, बाद में जांच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/स्थापना उल्लिखित तारीख से पहले व्याप्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you, the report of the inspection conducted by the Insurance Inspector/Branch Office Manager who Inspected your factory/establishment on 4-12-2006 your factory/establishment falls within the purview of Section 2(12)/1(5) of the Act with effect from 13-11-2006. In case, however, subsequent facts reveal that your factory/establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision of the Act from such earlier date.

5. आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के घोषण-पत्र भरने तथा उनके पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें।

It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of contribution, maintenance of record etc., from the date of coverage of your factory/establishment under the Act.

6. आपकी सुविधा के लिए कारखाने/स्थापना को कूट संख्या..... आबंटित की गई है जिसका इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संख्या सभी फार्मों में यथास्थान दर्शायी जाए। में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए हैं कि ये आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में आपकी हर संभव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप उपरिलिखित शाखा कार्यालय प्रबन्धक से संपर्क करें जो आपकी इस संबंध में हर संभव सहायता करेंगे।

(P.T.O.)